न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—97 / 2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1 गमदूर सिह | पि. जंगीर सिह जाति जटसिख सा.बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 जगसीर सिह |

वादीगण

बनाम

1 जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह | जाति जटसिख सा. बोलांवाली
2 चरणजीत कौर | पुत्रीयां जंगीर सिह | तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 गुरमेल कौर
4 अमरजीत कौर

5 शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया तह. संगरिया

6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. राज—पैरोकार प्रतिवादी संख्या—6

निर्णय दिनांक :— 19.08.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रति स. 1 के नाम से चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 135 / 136, 20 खाता सरजीत सिह वगैरा व इसी चक के खाता स. 105 / 88 खाता रतिराम वगैरा ज.स. 2068—71 एवं चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 84 / 9 खाता सरजीत सिह वगैरा ज.स. 2070—73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातो की जमाबन्दीयां संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि उनके वारिसान वादीगण तथा प्रति स. 2 ता 4 की जद्दी जायदाद है। जो हमारे पिता प्रति स. 1 को हमारे दादा से विरास्तन प्राप्त हुई है। इस आराजी में वादीगण का प्रति स. 2 ता 4 का हमारे पिता प्रति स. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है।अतः

प्रति स 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश की गई। स्टेट जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ बार–बार अवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी गमदूर सिंह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील वादी फार्म नं. 3 के साथ पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 17 बीजीपी खाता संख्या 99 खाता गुरनाम सिह सिह वगैरा व चक 10 एएमपी खाता संख्या 99 खाता गुरनाम सिह वगैरा की पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत बोलावाली द्वारा जंगीर सिह का जारी वारिसान तस्दीक की फोटो प्रति, एवं सहमति शपथ पत्र रणजीत कौर पत्नी जंगीर सिह जटसिख निवासी बोलावाली का पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चक की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण वादीगण का इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 4 ने वादी के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 17 बीजीपी खाता संख्या 99 खाता गुरनाम सिह सिह वगैरा व चक 10 एएमपी खाता संख्या 99 खाता गुरनाम सिह वगैरा की पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादी ने पैतृक सम्पति साक्ष्य में पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 17 बीजीपी खाता संख्या 99 खाता गुरनाम सिह सिह वगैरा व चक 10 एएमपी खाता संख्या 99 खाता गुरनाम सिह वगैरा की पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किये है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवष्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 135/136,20 खाता सरजीत सिह वगैरा व इसी चक के खाता स. 105/88 खाता रतिराम वगैरा ज.स. 2068–71 एवं चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 84/9 खाता सरजीत सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही होने के कारण इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने एवं उक्त चको के उक्त खातों मे से प्रति स. 1 जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–97 / 2019

1 गमदूर सिह | पि. जंगीर सिह जाति जटसिख सा.बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 जगसीर सिह |

वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह | जाति जटसिख सा. बोलांवाली
2. चरणजीत कौर | पुत्रीयां जंगीर सिह | तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरमेल कौर |
4. अमरजीत कौर |
5. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया तह. संगरिया
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 135 / 136,20 खाता सरजीत सिह वगैरा व इसी चक के खाता स. 105 / 88 खाता रतिराम वगैरा ज.स. 2068–71 एवं चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 84 / 9 खाता सरजीत सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चको के उक्त खातों मे से प्रति स. 1 जंगीर सिह पुत्र पाली सिह उर्फ महा सिह का नाम कलमजन किये जाने आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज्.....निल्.....मुब्लिक्.....निल्.....बाबत्.....
निल्.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक्.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.08.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.27 11:49:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: